उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,रायपुर के सामने
देहरादून–248008
वेबसाइट–**www.sssc.uk.gov.in** E- mail: chayanavog@gmail.com

विज्ञापन संख्याः 62 / उ0अ0से0च0आ0 / 2024 दिनांकः 20 सितंबर, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत प्रवक्ता संवर्ग तथा संगतकर्ता सवंर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	20 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	27 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	21 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि / अवधि	24 अक्टूबर, 2024 से 27 अक्टूबर, 2024 तक.
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	29 दिसम्बर, 2024

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत समूह–'ग' के कनिष्ठ प्रवक्ता गायन / सितार / लोकनृत्य के **03** रिक्त पदों, संगतकर्ता तबला / सारंगी / सांरगी–हारमोनियम / लोकवाद्य / लोकनृत्य / मृदंग / गायन–भरतनाट्यम / गायन के **15** रिक्त पदों तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत तबला वादक के **06** रिक्त पदों अर्थात **कुल 24** रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर दिनांक 21.10.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** को समय–समय पर देखते रहें।

04. **पदों का विवरणः–** उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष ऊर्ध्व व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

A. पदनाम– **कनिष्ठ प्रवक्ता** **कुल पद–03**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम /विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	426/219/62/2024	कनिष्ठ प्रवक्ता सितार (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–
2	426/219/62/2024	कनिष्ठ प्रवक्ता गायन (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	–	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–
3	426/219/62/2024	कनिष्ठ प्रवक्ता लोकनृत्य (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	–	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–
कुल पद				03	–	–	–	–	–	–	–

(ii) वेतनमानः– रू0 44,900–रू0 1,42,400 (लेवल–07)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से प्रथम श्रेणी या 50 प्रतिशत से अधिक अंकों के योग के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर संगीत की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि।

(2) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(3) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था में संबंधित विषय में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हताएंः– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंनेः–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

B. पदनाम– संगतकर्ता कुल पद–15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–

क्र0 सं0	पद कोड	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	426/583/62/2024	संगतकर्ता (तबला) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	04	–	–	–	–	–	–	–
2	426/583/62/2024	संगतकर्ता (सारंगी) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	–	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–

3	426/583/62/2024	संगतकर्ता (सारंगी / हारमोनियम) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	–	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–
4	426/583/62/2024	संगतकर्ता (लोकवाद्य) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	02	–	–	–	–	–	–	–
5	426/583/62/2024	संगतकर्ता (लोकनृत्य) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	02	–	–	–	–	–	–	–
6	426/583/62/2024	संगतकर्ता (मृदंग) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	01	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	01	–	–	–	–	–	–	
			अना0	–	–	–	–	–	–	–	
			योग	02	–	–	–	–	–	–	–
7	426/583/62/2024	संगतकर्ता (गायन–भरतनाट्यम) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	02	–	–	–	–	–	–	–
8	426/583/62/2024	संगतकर्ता (गायन) (संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	–	–	–	–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
			अ0पि0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			आ0क0व0	–	–	–	–	–	–	–	
			अना0	01	–	–	–	–	–	–	
			योग	01	–	–	–	–	–	–	–
कुल पद				15	–	–	–	–	–	–	–

(ii) वेतनमानः– रू0 25,500–रू0 81,100 (लेवल–04)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी या 50 प्रतिशत से अधिक अंकों के योग के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि।

(2) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(b) अधिमानी अर्हताएंः– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंनेः–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

C. पदनाम– **तबला वादक**

पदकोड–464/649/62/2024 **कुल पद–06**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	तबला वादक (उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	02	–	–	–	–	–	–	–
		अ0ज0जा0	–	–	–	–	–	–	–	
		अ0पि0व0	01	–	–	–	–	–	–	
		आ0क0व0	01	–	–	–	–	–	–	
		अना0	02	–	–	–	–	–	–	
		योग	06	–	–	–	–	–	–	–

(ii) वेतनमानः– रू0 19,900–रू0 63,200 (लेवल–02)

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः– अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

संगीत (तबला) विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।

(b) अधिमानी अर्हताएं:–

संगीत, तबला विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।

06. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रियाः–

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट–01** का अवलोकन करें। सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जाएगा।

(vii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न–पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

07. **अधिमानः–** लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

08. **आयुः–**

उपरोक्त सभी पदों हेतु **आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।**

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा समूह–'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

09. **आवेदन हेतु पात्रताः–**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु **निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:–**

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट

अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक–1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

10. <u>राष्ट्रीयता</u>:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. चरित्रः–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

12. वैवाहिक प्रास्थितिः–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थताः–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्याः 374(1)XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नंवबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(च) में संलग्न है।

14. आरक्षणः–

i. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय

पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

ii. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 21.10.2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को ऊर्ध्व श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. **"भूतपूर्व सैनिक"** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–**(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–**(एक)** निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(दो)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और **(तीन)** शौर्य पुरस्कार पाने वाले। **(चार)** जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vii. **शासनादेश संख्या–310**/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।

viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या– 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यघपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नही होगा।

ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

x. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

xi. **''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित''** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) **(तीन)** पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।

xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–**244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023**, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उतराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–**117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024**, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा **'कुशल खिलाड़ी'** से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः–

क्र0 स0	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप / एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल / एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप / अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों
5	राष्ट्रीय खेल / मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप / अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल / खेलों इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़िओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

xiv. कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्या अपनी श्रेणी से है।

xv. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 1:– अभ्यर्थी पाठ्यकम हेतु परिशिष्ट–1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट–2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण–पत्र तैयार करवायें।

नोट 2:– उपरोक्त पदों के चयन का विकल्प लिखित प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

15. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के चरण:–

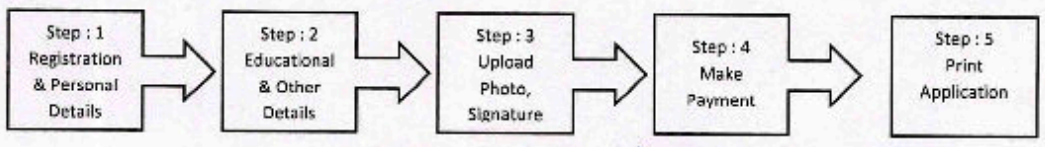

i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई–मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।

ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई–मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू0के0एस0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझाा जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग–इन के लिए आवश्यक है।

v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0 / जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।

vi. आवेदन–पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नैट बैंकिंग / यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अथ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएग

vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई–मेल करें।

viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरें जाते है, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।

ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

x. अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।

xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी

को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्कः–

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रू0)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़ेः–

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः–79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त

करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8)आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने

वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण इत्यादि) ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लघंन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व

निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए–

अ0जा0	–	अनुसूचित जाति
अ0ज0जा0	–	अनुसूचित जनजाति
अ0पि0व0	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
अ0क0व0	–	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना0	–	अनारक्षित

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

कनिष्ठ प्रवक्ता, सितार विषय हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

- सितार की उत्पत्ति और विकास, सितार का आविष्कार, सितार की संरचना और प्रकार, सितार के विविध अंग, सितार और अन्य तन्त्री वाद्यों में तुम्बे का महत्त्व
- सितार और उसके अंगों का निर्माण :–तूम्बा, डाण्ड, तबली, तार, परदा, घुड़च, तारगहन, अटी, लंगोट, मनका, गुलू, मिज़राब
- सितार की मरम्मत :– सितार में मरम्मत का महत्त्व, तूम्बे की मरम्मत, तार बदलना, जवारी, पॉलिशिंग, डाण्ड की मरम्मत, पर्दे बाँधना
- सितार मिलाने की विधि।

खण्ड–2

- भारतीय सांगीतिक वाद्यों का वर्गीकरण :–सुषिर वाद्य, तन्त्री वाद्य, घन वाद्य, अवनद्ध वाद्य एवं इलेक्ट्रॉनिक वाद्य
- भारतीय संगीत में तन्त्री वाद्यों की उपयोगिता
- विभिन्न तन्त्री वाद्यों का विस्तृत अध्ययन :– वीणा, सन्तूर, इसराज, सरोद, सारंगी,
- विभिन्न वाद्यों का सामान्य अध्ययन :– तबला, मृदंग, बाँसुरी, शहनाई, जलतरंग, हारमोनियम
- उत्तराखण्ड के लोकवाद्य

खण्ड–3

- सितार के सांगीतिक तत्त्वों का संक्षिप्त अध्ययन :– मींड, घसीट, कृन्तन, सूत, गिटकरी, जमजमा, मुर्की, खटका, गमक, आलाप, जोड़, तोड़ा, झाला, गत, मसीतखानी गत, रज़ाखानी गत, अमीरखानी गत, फिरोज़खानी गत,
- सांगीतिक तत्त्वों का विस्तृत अध्ययन :– ध्वनि, कम्पन्न, आन्दोलन, आवृत्ति, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, राग, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, वर्जित स्वर, वक्र स्वर, न्यास, आरोह, अवरोह, पकड़
- अल्पत्व, बहुत्व, ग्राम, मूर्च्छना, वर्ण, अलंकार, राग की जाति, काकु भेद, आविर्भाव, तिरोभाव, रागालाप, रूपकालाप, आलाप्ति, स्वरस्थान नियम, राग लक्षण, स्वर प्रस्तार, मार्गी और देसी संगीत,
- सामगान, निबद्धगान, प्रबन्ध गान, जाति गायन, ध्रुवा गान, चतुःसारणा, स्वर संवाद, ताल, लय, ताली, खाली, विभाग, सम, मुखड़ा, मात्रा, बोल, चिह्न, आवर्तन, ठाह, लयकारी, तिहाई

खण्ड– 4

- घरानों की उत्पत्ति और विकास, सेनिया घराना और इमदादखानी घराना
- आधुनिक काल के संगीत में घरानों की आवश्यकता
- घराना परम्परा के गुण और दोष
- विद्यालय (प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक), महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षण

खण्ड –5

- वादकों के गुण–दोष
- भातखण्डे एवं विष्णु दिगम्बर स्वरलिपि पद्धति
- रागों का समय सिद्धान्त का विस्तृत अध्ययन
- राग वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन
- वीणा के तार पर स्वर स्थापना

खण्ड –6

विभिन्न संगीतज्ञों का भारतीय संगीत में योगदान

- शास्त्रकार :– भरतमुनि, मतंग, शारंगदेव, व्यंकटमुखी, अहोबल, विष्णु नारायण भातखण्डे, लालमणि मिश्र, ओंकारनाथ ठाकुर
- ग्रन्थों का अध्ययन :– नाट्यशास्त्र, वृहद्देशी, संगीत रत्नाकार, स्वरमेल कलानिधि, चतुर्दण्डी प्रकाशिका, प्रणव भारती, संगीतांजलि, श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्
- संगीतकार :– उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद इमदाद खान, पं॰ रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद इनायत खान, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद मुश्ताक अली खान, उस्ताद रईस खान, पं॰ शिवकुमार शर्मा, पं॰ हरिप्रसाद चौरसिया, देबू चौधरी

खण्ड –7

राग एवं ताल

- रागों का विस्तृत अध्ययन :– यमन, भूपाली, बिलावल, काफी, खमाज, देश, केदार, बिहाग, भैरव, भैरवी, बागेश्री, पूरिया, पूरिया धनाश्री, वृन्दावनी सारंग, दुर्गा, जयजयवन्ती, मालकौंस, मियां की मल्हार, तोड़ी, दरबारी कान्हड़ा, कामोद, हमीर, बसन्त, परज, बहार, आसावरी, जौनपुरी, गौड़ सारंग, छायानट, मारवा, पूर्वी, सोहनी, तिलंग, मुलतानी, पीलू और पहाड़ी
- तालों का विस्तृत अध्ययन :– तीनताल, एकताल, ,चारताल, तिलवाड़ा, दादरा, रूपक, तीव्रा, कहरवा, धमार, दीपचन्दी, झपताल, सूलताल, आड़ा चारताल, झूमरा

नोट– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सम्बन्धित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

कनिष्ठ प्रवक्ता गायन के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

भारतीय शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन

- संगीत की पारिभाषिक शब्दावलियाँ एवं परिचय–ध्वनि, नाद, नाद के प्रकार एवं जाति, आन्दोलन, कम्पन, संगीत, श्रुति, श्रुति–स्थान, स्वर, सप्तक, मार्गी व देशी संगीत, ग्राम, जाति, मूर्च्छना, थाट, राग, ताल, लय, आलाप, तान, गमक, कण स्वर, मीड़, वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी, आर्विभाव–तिरोभाव, अल्पत्व–बहुत्व, परमेलप्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, वाग्गेयकार, नायक, गायक।

खण्ड–2

संगीत की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि–

- भारतीय शास्त्रीय संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन
- प्राचीनकाल (वैदिक, पौराणिक, रामायण, महाभारतकालीन)
- मध्यकाल एवं आधुनिककाल

खण्ड–3

संगीत के ग्रंथ एवं रचनाकारों का परिचय/उनका योगदान–

- भरतमुनि, मतंगमुनि, हृदयनारायणदेव, शारंगदेव, पं0 अहोबल, पं0 लोचन, पं0 रामामात्य, पं0 व्यंकटमखी, त्यागराज, पुरन्दरदास, श्यामाशास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर।
- पं0 विष्णुनारायण भातखण्डे, पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, पं0 ओमकारनाथ ठाकुर, पं0 कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति,
- नाट्यशास्त्र, नारदीय–शिक्षा, बृहद्देशी , संगीत–रत्नाकर, संगीत–पारिजात, राग–तरंगिणी, स्वरमेलकलानिधि, चर्तुदण्डिप्रकाशिका, अभिनवरागमंजरी

खण्ड–4

गायन शैलियों का अध्ययन एवम् ऐतिहासिक विकास–यात्रा –

- प्रबन्ध, ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, तराना, चतुरंग, त्रिवट, होली, सादरा, गज़ल, भजन।

खण्ड–5

प्रमुख घराने व संगीतज्ञों का परिचय–

- घराने– ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, पटियाला, किराना, जयपुर, इंदौर, भिंडीबाजार, मेवाती घराना, रामपुर–सहसवान घराना
- संगीतज्ञ– तानसेन, विनायकराव पटवर्धन, कृष्णराव शंकर पंडित, बडे गुलाम अली खाँ, कैयाज़ खाँ, चांद खाँ, पं0 भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, उस्ताद अमीर खाँ, अमानत अली खाँ, पं0 जसराज, गुलाम मुस्तफा खाँ, कुमार गंधर्व, केसर बाई केरकर, अंजनी बाई मालपेकर, अजय चकवर्ती, पं0 चन्द्रशेखर पन्त।

खण्ड–6

राग–ताल परिचय–

- रागों का परिचय– बिलावल, यमन, खमाज, काफी, भैरव, भैरवी, देश, आसावरी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी, विहाग, मालकौंस, जयजयवंती, भीमपलासी, मियां मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, वृन्दावनी सारंग, श्याम कल्याण, मारू बिहाग, अहीर भैरव।
- तालो का परिचय– तीन ताल, झपताल, एकताल, चारताल, कहरवा, दादरा, तिलवाड़ा, धमार, सूलताल, दीपचन्दी, पंजाबी, झूमरा, आड़ाचौताल, रूपक, तीव्रा।

खण्ड–7

स्वर लिपि पद्धति–

- पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर एवं पं0 विष्णुनारायण भातखण्डे की स्वरलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन।
- पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति का सामान्य परिचय, स्टाफ नोटेशन, टाइम सिग्नेचर।

खण्ड–8

उत्तराखण्ड का लोक संगीत ,वाद्य एवं कलाकार–

- उत्तराखण्ड की प्रमुख गायन शैलियाँ– न्योली, झोड़ा, चांचरी, बैर, छपेली, चौंफला, झुमैलो, नाटी, थड्या, भगनौल, फाग–होली।
- वाद्ययंत्र– ढ़ोल–दमाऊ, हुड़का, डौंर–थाली, तुरही, रणसिंगा, बांसुरी, बिणई।
- मोहन उप्रेती, नईमा खान, ब्रजेन्द्र लाल साह, जीत सिंह नेगी, चन्द्र सिंह राही, नरेन्द्र सिंह नेगी का सांगीतिक योगदान।

नोट– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

कनिष्ठ प्रवक्ता लोकनृत्य के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

संगीत का सामान्य अध्ययन

(1) नाद, ध्वनि, संगीत की उत्पत्ति, स्वर व स्वर के प्रकार, नृत्य के प्रकार

(2) लोक संगीत एवं लोक नृत्य की परिभाषा, महत्व एवं एतिहासिक अध्ययन

खण्ड–2

उत्तराखण्ड की नृत्य शैलियां

(क) पांडव नृत्य – (1)अठ्ठारह ताली पाण्डव नृत्य

(2) पाण्डव नृत्य की यात्रायें – मोरुदार, अभिमन्यु का चक्रव्यूह गायन, मोरु वृक्ष लाना, वाण निकालना एवं रखना, गंगा स्नान

(3) बग्ड़वाल नृत्य – यन्त्र स्थापना एवं कृषि अनुष्ठानों के नृत्य, आंछरी के नृत्य,रोपणी के ,नृत्य, विर्सजन के नृत्य,

(4) गोरिल/गोल्ज्यू के नृत्य

(5) बैसी के नृत्य

(6) हिलजात्रा के नृत्य

(7) मुखौटों के नृत्य – जाख, चण्डिका, क्षेत्रपाल के मुखौटा नृत्य

(8) नन्दा देवी के मुखौटों नृत्य

(9) रम्माण परम्परा के मुखौटा नृत्य

(10) द्वारी परंपरा के मुखौटा नृत्य

(10) ऐरवाला चिन्हवाला नृत्य

(11) देवी की यात्राओं के फर्श नृत्य

(12) गोल घोरे के नृत्य – हाथजोड़, ठुलखेल, खड़ी होली, झोड़ा, चांचरी, छपेली, नाटी, चैती, तांदी, हारुल, रांसौं, झैंता

(13) रणभूत के नृत्य

(14) डोली नृत्य

खण्ड–3

उत्तराखण्ड के लोक नृत्यों के साथ बजने वाली तालों का अध्ययन

(क) उत्तराखण्ड के परिपेक्ष में ताल का सृजन

(ख) लोक तालों का अध्ययन –

(1) आड़ी चाल –दादरा

(2) सीधी चाल – कहरवा

(3) पड़ी चाल – रुपक

(4) खड़ी चाल – चाचर /दीपचंदी

(5) धुंयाल/चौरास

(6) लंगड़ी चाल

खण्ड–4

ग्रन्थों एवं पुस्तकों का अध्ययन

(1) गढ़वाल के लोक नृत्य गीत

(2) कुमाऊं के लोकगीत

(3) ताल शास्त्र

(4) कुमाऊंनी लोकगाथाएं

(5) कुमाऊं के संस्कार गीत

(6) भारतीय अध्यात्मिक पृष्ठभूमि में गढ़वाली लोकसंगीत

(7) भारतीय संगीत का इतिहास

(8) संगीत विशारद

(9) Folk drumming in the Himalayas

(10) Dancing with Devtas

नोट :– पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामयिक एवं तकनिकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिश्रित समझा जाए ।

तबलावादक/संगतकर्ता तबला के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन

ध्वनि, कम्पन, आन्दोलन, आवृत्ति, नाद, नाद के प्रकार; संगीत एवं संगीत के प्रकार– शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, स्वर एवं स्वर के प्रकार– शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, श्रुति, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, थाट, राग, निबद्ध–अनिबद्ध गान, वादी, सम्वादी, विवादी, अनुवादी, वर्जित, वक्र स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़, कण, मींड, खटका, मुर्की, आलाप, तान, ताल, लय व लय के प्रकार, मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन, लयकारी, मुखड़ा, मोहरा, कायदा, पेशकार, पल्टा, परन, टुकड़ा, उठान, रेला, चक्करदार, लग्गी, लड़ी बाँट, तिहाई व तिहाई के प्रकार–दमदार, बेदमदार व चक्करदार, तिहाई, लहरा, गत–मसीतखानी, रज़ाखानी, जोड़–झाला, थाट, आमद, सलामी, तोड़ा, तत्कार।

खण्ड–2

संगीत वाद्यों का ऐतिहासिक अध्ययन

(अ) वाद्य वर्गीकरण का सामान्य अध्ययन–तत्, घन्, अवनद्ध, सुषिर।

(ब) अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति एवं विकास–वैदिक काल, पौराणिक काल, महाकाव्य काल (रामायण, महाभारत), प्राचीन काल (भरतकृत नाट्य शास्त्र) मध्यकाल (संगीत रत्नाकर), आधुनिक काल (स्वरमेल कलानिधि, चर्तुदण्डीप्रकाशिका)।

(स) त्रिपुष्कर, पणव, पटह, मृदंगम्, घटम्, नक्कारा, ढोलक, नाल, खोल, ढोल वाद्यों का सामान्य अध्ययन।

खण्ड–3

तबले का विस्तृत अध्ययन

(अ) तबले व पखावज की उत्पत्ति एवं विकास।

(ब) तबले व पखावज वाद्य की बनावट व उसकी निर्माण प्रक्रिया, तबले को मिलाने की विधि।

(स) तबले के दस वर्ण व उनकी निकास विधि।

(द) तबला वादक के गुण व दोष।

(ध) ताल के दस प्राण।

(न) पं० विष्णु नारायण भातखण्डे व पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जीवन परिचय व ताललिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन।

(प) उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय ताल पद्धतियों का सामान्य अध्ययन।

खण्ड–4

तबले के बाज, घराना एवं वादक

(अ) तबले के बाज व घरानों का ऐतिहासिक अध्ययन– दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, फरूर्खाबाद घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना।

(ब) जीवन परिचय व सांगीतिक योगदान–
कुदऊ सिंह, नाना–पानसे, पण्डित अयोध्या प्रसाद, स्वामी पागलदास, उस्ताद नत्थू खां, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, पं0 अनोखे लाल, पं0 सामता प्रसाद, पं0 करामतुल्ला खाँ, पं0 कण्ठे महाराज, पं0 किशन महाराज, उस्ताद अल्लाहरखा खाँ, हबीबुद्दीन खाँ, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, पं0 आनिन्दो चटर्जी, पं0 स्वपन चौधरी, पं0 कुमार बोस।

खण्ड–5

तालों का विस्तृत अध्ययन व सांगीतिक विधाओं में प्रयोग

(अ) ताल– चारताल, सूलताल, धमारताल, तीव्रा ताल, तीनताल, एकताल, झपताल, तिलवाड़ा, आड़ाचारताल, दीपचन्दी ताल, झूमराताल, अद्धाताल, खेमटाताल, रूपकताल, दादराताल, कहरवाताल।

(ब) लयकारी– पाठ्यक्रम की समस्त तालों में विभिन्न लयकारी आड़, दुगुन, तिगुन व चौगुन का अध्ययन।

(स) गायनशैली– ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, होरी, दादरा, सादरा, गजल, भजन, लोकसंगीत।

(द) नृत्य– कत्थक नृत्य, लोकनृत्य।

नोटः– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

संगतकर्ता सारंगी के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन

ध्वनि, कम्पन आन्दोलन आवृत्ति नाद, नाद के प्रकार, संगीत एवं संगीत के प्रकार–शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, स्वर एवं स्वर के प्रकार–शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, श्रुति, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, थाट, राग, निबद्ध–अनिबद्ध गान, वादी, सम्वादी, विवादी, अनुवादी, वर्जित, वक्र स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़, कण, मीड, खटका, मुर्की, आविर्भाव, तिरोभाव, आलाप, तान व उनके प्रकार, ताल, लय व लय के प्रकार, मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन, लयकारी, मुखड़ा, मोहरा, कायदा, पेशकार, पल्टा, परन, टुकड़ा, उठान, रेला, चक्करदार, लग्गी, लड़ी, बाँट, तिहाई, लहरा, जोड़, झाला, घसीट, सूत, थाट, आमद, तोड़ा, सलामी, तत्कार, मसीतखानी गत, रज़ाखानी गत।

खण्ड–2

वाद्य संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण

(अ) वाद्यों का सामान्य अध्ययन व उनका वर्गीकरण– तत्, घन, अवनद्ध, सुषिर।
(ब) तत् वाद्यों की उत्पति एवं विकास–वैदिक, पौराणिक, रामायण एवं महाभारत काल, प्राचीन काल (भरत कृत नाट्यशास्त्र), मध्य काल (संगीत रत्नाकर) आधुनिक काल (चर्तुदण्डीप्रकाशिका, स्वरमेलकला निधि)।
(स) वीणा–रूद्र वीणा, विचित्र वीणा, सुरबहार, इसराज, सरोद, वायलिन, सितार, सारंगी, तानपूरा का सामान्य अध्ययन।

खण्ड–3

सारंगी का विस्तृत अध्ययन

(अ) सारंगी की उत्पत्ति एवं विकास
(ब) सारंगी की बनावट, अंग व उसकी निर्माण प्रक्रिया
(स) सारंगी को मिलाने की विधि
(त) सारंगी वादक के गुण व दोष

खण्ड–4

घराने, संगीतज्ञ एवं गायन शैलियाँ

(अ) भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने– दिल्ली घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, रामपुर–सहसवान घराना
(ब) सारंगी वादकों का जीवन परिचय व उनका सांगीतिक योगदान–उस्ताद बुन्दु खाँ, उस्ताद लतीफ खाँ, उस्ताद गुलाम सरवर, उस्ताद अब्दुल मजीद खाँ, पं0 रामनारायण, उस्ताद सुल्तान खाँ, उस्ताद गुलाम साबरी खाँ,
(स) गायन शैलियों की उत्पति एवं विकास–ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, चतुरंग, त्रिवट, टप्पा, ठुमरी, होरी, दादरा, सादरा, गज़ल, भजन, लोकगीत।

खण्ड–5

राग एवं सांगीतिक विद्याओं का परिचय

(अ) रागों का सम्पूर्ण परिचय– यमन, बिलावल, भूपाली, काफी, देश, तोड़ी, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, मारवा, पूर्वी, बागेश्री, देशकार, कामोद, केदार, बिहाग, वृंदावनी सारंग, दुर्गा, शंकरा, हिंडोल, अल्हैया बिलावल, मियां मल्हार, परज, बसंत, पूरिया धनाश्री, ललित, जैजवन्ती, जौनपुरी, मालकौंस, दरबारी कान्ड़हा, भीमपलासी, बहार, पीलू, पटदीप, तिलंग, मुलतानी, शुद्ध कल्याण, हमीर, छायानट।

(ब) शुद्ध, छायालग एवं संकीर्ण राग।

(स) तालों का संपूर्ण अध्ययन–दादरा, कहरवा, रूपक, तीनताल, झपताल, एकताल, दीपचंदी, खेमटा, आड़ा चारताल, झूमरा, तिलवाड़ा, चारताल, सूलताल, धमारताल।

खण्ड–6

सम्यक विषय

(क) गमक का ऐतिहासिक विश्लेषण एवं प्रकार।

(ख) श्रुति एवं स्वर की उत्पति एवं विकास।

(ग) उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय संगीत पद्धतियों के स्वर व रागों का तुलनात्मक अध्ययन।

(घ) पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे व पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जीवन परिचय व स्वरलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन।

नोटः– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

संगतकर्ता सारंगी/हारमोनियम के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन

ध्वनि, कम्पन आन्दोलन आवृत्ति नाद, नाद के प्रकार, संगीत एवं संगीत के प्रकार–शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, स्वर एवं स्वर के प्रकार–शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, श्रुति, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, थाट, राग, निबद्ध, अनिबद्ध, वादी, सम्वादी, विवादी, अनुवादी, वर्जित, वक्र स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़, कण, मीड, खटका, मुर्की, आविर्भाव, तिरोभाव, आलाप, तान व उनके प्रकार, ताल, लय व लय के प्रकार, मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन, लयकारी, मुखड़ा, मोहरा, कायदा, पेशकार, पलटा, परन, टुकड़ा, उठान, रेला, चक्करदार, लग्गी, लड़ी, बाँट, तिहाई, परमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, लहरा, जोड़, झाला, घसीट, सूत, थाट, आमद, तोड़ा, सलामी, तत्कार, मसीतखानी गत, रज़ाखानी गत।

खण्ड–2

वाद्य संगीत का ऐतिहासिक विश्लेषण

(अ) वाद्यों का सामान्य अध्ययन व उनका वर्गीकरण– तत्, घन्, अवनद्ध, सुषिर।
(ब) तत् एवं सुषिर वाद्यों की उत्पति एवं विकास–वैदिक, पौराणिक, रामायण एवं महाभारत काल, प्राचीन काल (भरत कृत नाट्यशास्त्र, मध्य काल (संगीत रत्नाकर) आधुनिक काल (चर्तुदण्डीप्रकाशिका, स्वरमेलकलानिधि)
(स) तानपुरा, बांसुरी, शहनाई, रणसिंह, मश्कबीन, तुरही, नादस्वरम का सामान्य अध्ययन।
(द) ग्रंथों का सामान्य अध्ययन–नाट्यशास्त्र, वृहद्देशी, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात राग तरंगिणी, चर्तुदण्डी प्रकाशिका, स्वरमेलकलानिधि

खण्ड–3

हारमोनियम का विस्तृत अध्ययन

(अ) सारंगी एवं हारमोनियम की उत्पत्ति एवं विकास
(ब) सारंगी एवं हारमोनियम की बनावट, अंग व उसकी निर्माण प्रक्रिया
(स) सारंगी को मिलाने की विधि
(त) सारंगी एवं हारमोनियम वादक के गुण व दोष

खण्ड–4

(अ) भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने– दिल्ली घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, पटियाल घराना, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, रामपुर–सहसवान घराना
(ब) संगीतज्ञों का जीवन परिचय व उनका सांगीतिक योगदान–स्वामी हरिदास, तानसेन, गोपाल नायक, सदारंग, अदारंग, बैजू बावरा, मान सिंह तोमर, उस्ताद बुन्दु खाँ, उस्ताद लतीफ खां पं0 रामनारायण, उस्ताद सुल्तान खाँ, उस्ताद गुलाम साबरी खाँ।
(स) गायन शैलियों की उत्पति एवं विकास–ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, चतुरंग, त्रिवट, टप्पा, ठुमरी, होरी, दादरा, सादरा, गज़ल, भजन, लोकगीत।

खण्ड–5

राग एवं सांगीतिक विद्याओं का परिचय

(अ) रागों का सम्पूर्ण परिचय– यमन, बिलावल, भूपाली, काफी, देश, तोड़ी, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, मारवा, पूर्वी, बागेश्री, देशकार, कामोद, केदार, बिहाग, वृंदावनी सारंग, दुर्गा, शंकरा, हिंडोल, अल्हैया बिलावल, मियां मल्हार, परज, बसंत, पूरिया धनाश्री, ललित, जैजवन्ती, जौनपुरी, मालकौंस, दरबारी कान्ड़हा, भीमपलासी, बहार, पीलू, पटदीप, तिलंग, मुलतानी, शुद्ध कल्याण, हमीर, छायानट।

(ब) शुद्ध, छायालग एवं संकीर्ण राग।

(स) तालों का संपूर्ण अध्ययन–दादरा, कहरवा, रूपक, तीनताल, झपताल, एकताल, दीपचंदी, खेमटा, आड़ा चारताल, झूमरा, तिलवाड़ा, चारताल, सूलताल, धमारताल।

खण्ड–6

सम्यक विषय

(क) गमक का ऐतिहासिक विश्लेषण एवं प्रकार।

(ख) श्रुति एवं स्वर की उत्पति एवं विकास।

(ग) उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय संगीत पद्धतियों के स्वर व रागों का तुलनात्मक अध्ययन।

(घ) पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे व पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जीवन परिचय व स्वरलिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन।

(ञ) पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन का सामान्य अध्ययन

(च) हारमनी, मेलोडी

नोटः– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

संगतकर्त्ता लोकवाद्य के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

संगीत का सामान्य अध्ययन

(1) नाद, ध्वनि, संगीत की उत्पत्ति, स्वर व स्वर के प्रकार, संगीत के प्रकार

(2) लोक संगीत की परिभाषा एवं महत्व

खण्ड–2

(2) उत्तराखण्ड का लोक संगीत –

(क) गायन, (ख) वादन

(3) उत्तराखण्ड की प्रमुख गायन शैलियां –

(क) जागर – नरसिंह, गोल्ज्यू, भैरव, कच्या, रमौल, निरंकार, नार्गजा, गंगनाथ, हरुसेम, रणभूत, आंछरी, कण्डार, अन्य जागर

(ख) जागर – नन्दा देवी के जागर, महाभारत के जागर, कृष्ण के जागर, महासू के जागर, कर्ण के जागर, पोखू के जागर, पोखू के जागर, ओणेश्वर के जागर, सहजादेवी के जागर, सैद्वाली

(4) नृत्य शैली की प्रमुख गायन विधा –

ढुस्का, हथजोड़,ठुलखेल, झोड़ा, चांचरी, बैर–भगनौल, हुड़क्या बौल, छपेली, थड़िया–चौफला, झुमैलो, तांदी, रांसों, झैंता, हारुल, नाटी, छोपती, चैती,

(5) बैठ के गाने वाली गायन शैलियां

न्योली, बैर, बाजूबन्द, धारु के गीत, छूड़ा–पंवाड़ा, वाक्ना, ऋतुरैण, ननौल

(5) गाथा गायन – राजुला मालुशाही, माधोसिंह भण्डारी, जीतू बग्ड़वाल इत्यादि

खण्ड–3

वाद्य यंत्र

(1) ढोल–दमौं –(क) ढ़ोल की उत्पत्ति एवं ढ़ोल सागर

(ख) ढोल की संरचना (खोल, पूड़, कुण्डली, कष्णिका, विजयसार, कुण्डल, कंदोटिका, लाकुड़)

(ग) ढोल के वर्ण ताल एवं उनके सन्दर्भ– ठोकण, धुंयाल, जोड़–बढ़ाई, सैन्दवार, सबद, उकाल, उन्द्यार, गंगछाला, मछीफाट, नौबत के 18 ताल, अन्तिम यात्रा के ताल, सरौं, छोलिया के ताल, पैसारा

(3) हुड़का – इतिहास एवं संरचना

(3) भंकोरे – इतिहास एवं संरचना

(4) रणसिंगा – इतिहास एवं संरचना

(5) करनाल – इतिहास, संरचना एवं प्रयोग

(6) मशकबीन/स्कॉटिश बैगपाइप– इतिहास, संरचना एवं प्रयोग

(7) झांझ – इतिहास एवं संरचना

(8) बिणाई/मोछंग/बीमू – इतिहास एवं संरचना

(9) सिणाई – इतिहास एवं संरचना

(10) ढाक – इतिहास एवं संरचना

(11) नगाड़ा –इतिहास एवं संरचना

(12) तुरई – इतिहास एवं संरचना

(13) डौंर–थाली – इतिहास एवं संरचना

खण्ड–4

ग्रन्थों एवं पुस्तकों का अध्ययन

(1) गढ़वाल के लोक नृत्य गीत (2) कुमाऊं के लोकगीत

(3) ढ़ोल सागर (4) कुमाऊंनी लोकगाथाएं

(5) कुमाऊं के संस्कार गीत (6) महाग्रन्थ शब्द सागर का रहस्य

(7) हमारे शकुनाखर (8) गढ़वाली मांगल

(9) बंगाण(10) Dancing with Devtas

(11) Folk drumming in the Himalayas

नोट :– पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामयिक एवं तकनिकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिश्रित समझा जाए ।

संगतकर्त्ता लोकनृत्य के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

संगीत का सामान्य अध्ययन

(1) नाद, ध्वनि, संगीत की उत्पत्ति, स्वर व स्वर के प्रकार, नृत्य के प्रकार

(2) लोक संगीत एवं लोक नृत्य की परिभाषा, महत्व एवं एतिहासिक अध्ययन

खण्ड–2

उत्तराखण्ड की नृत्य शैलियां

(क) **पांडव नृत्य** – (1)अठ्ठारह ताली पाण्डव नृत्य

(2) पाण्डव नृत्य की यात्रायें – मोरुदार, अभिमन्यु का चक्रव्यूह गायन, मोरु वृक्ष लाना, वाण निकालना एवं रखना, गंगा स्नान

(3) बग्ड़वाल नृत्य – यन्त्र स्थापना एवं कृषि अनुष्ठानों के नृत्य, आंछरी के नृत्य,रोपणी के नृत्य, विर्सजन के नृत्य,

(4) गोरिल/गोल्ज्यू के नृत्य

(5) बैसी के नृत्य

(6) हिलजात्रा के नृत्य

(7) मुखौटों के नृत्य – जाख, चण्डिका, क्षेत्रपाल के मुखौटा नृत्य

(8) नन्दा देवी के मुखौटों नृत्य

(9) रम्माण परम्परा के मुखौटा नृत्य

(10) द्वारी परंपरा के मुखौटा नृत्य

(11) ऐरवाला चिन्हवाला नृत्य

(11) देवी की यात्राओं के फर्श नृत्य

(12) गोल घोरे के नृत्य – हाथजोड़, ठुलखेल, खड़ी होली, झोड़ा, चांचरी, छपेली, नाटी, चैती, तांदी, हारुल, रांसौं, झैंता

(13) रणभूत के नृत्य

(14) डोली नृत्य

खण्ड–3

उत्तराखण्ड के लोक नृत्यों के साथ बजने वाली तालों का अध्ययन

(क) उत्तराखण्ड के परिपेक्ष में ताल का सृजन

(ख) लोक तालों का अध्ययन –

(1) आड़ी चाल –दादरा

(2) सीधी चाल – कहरवा

(3) पड़ी चाल – रुपक

(4) खड़ी चाल – चाचर /दीपचंदी

(5) धुंयाल/चौंरास

(6) लंगड़ी चाल

खण्ड–4

ग्रन्थों एवं पुस्तकों का अध्ययन

(1) गढ़वाल के लोक नृत्य गीत

(2) कुमाऊं के लोकगीत

(3) ताल शास्त्र

(4) कुमाऊंनी लोकगाथाएं

(5) कुमाऊं के संस्कार गीत

(6) भारतीय अध्यात्मिक पृष्ठभूमि में गढ़वाली लोकसंगीत

(7) भारतीय संगीत का इतिहास

(8) संगीत विशारद

(9) Folk drumming in the Himalayas

(10) Dancing with Devtas

नोट :– पाठ्यक्रम के उक्त उपखंडों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामयिक एवं तकनिकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिश्रित समझा जाए ।

मृदंगम् संगतकर्ता के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड –1

- मृदंगम् की उत्पत्ति, इतिहास एवं क्रमिक विकास
- भारतीय संगीत के वाद्यों का वर्गीकरण
- मृदंगम् के भागों का ज्ञान

खण्ड –2

- ताल के दशप्राण
- मार्गी एवं देशी ताल
- एक सौ आठ ताल

खण्ड –3

- दक्षिण भारतीय ताल पद्धति
- उत्तर भारतीय ताल पद्धति
- पाश्चात्य ताल पद्धति

खण्ड –4

- पारिभाषिक शब्द :– नाद, स्वर, ध्वनि, लय, ताल, आवर्तन, मात्रा, जाति, गति, तनिआवर्तनम्, फरन, पडाल, मुखड़ा, मोहरा, तीरमानम्, संगीत, श्रुति, चापु, मीटु, टोप्पि, कोरवै, जती, अरुदी
- पालघाट मणिअय्यर और पालानी सुब्रमण्यम पिल्लई की वादन शैली
- मृदंगम् के प्रमुख विद्वानों का जीवन परिचय एवं सांगीतिक योगदान

खण्ड –5

- मृदंगम् के प्रारम्भिक वर्ण, पाट वरिसै, सोल्लुकट्टु एवं उनकी वादन शैली
- सप्ततताल, जाति एवं गतिभेद
- रूपक, आदिताल, मिश्रचापु, त्रिपुटताल, अटताल की विभिन्न गतियाँ
- दक्षिण भारत में प्रचलित ताल वाद्यों का अध्ययन

खण्ड –6

- उत्तर भारतीय ताल लिपि पद्धति
- दक्षिण भारतीय ताल लिपि पद्धति
- पाश्चात्य ताल लिपि पद्धति

खण्ड –7

- गायन, वादन एवं नृत्य में संगति के आवश्यक तत्त्व
- संगतकार के गुण और दोष
- उत्तराखण्ड के प्रमुख लोकवाद्यों का अध्ययन

नोट– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से संदर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

संगतकर्ता भरतनाट्यम् के पद हेतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

- संगीत की परिभाषा, उत्पत्ति, एवं क्रमिक विकास
- प्रागैतिहासिक काल एवं वैदिक काल का संगीत
- प्राचीन ग्रंथों, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला एवं भित्तिचित्रों में संगीत

खण्ड–2

- स्वर सप्तक, षोडश स्वरस्थान, सप्ततताल, सरलि वरिसै, स्थायी वरिसै, मध्यस्थायी वरिसै, जन्ट वरिसै, हेच्चु वरिसै, सप्ततताल अलंकारम्

खण्ड–3

- मार्गी एवं देशी संगीत एवं ताल,
- मेलकर्ता एवं जन्यराग
- दक्षिण भारतीय रागों के समकक्ष उत्तर भारतीय रागों का अध्ययन,

खण्ड–4

- भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण,
- दक्षिण भारतीय वाद्य
- उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय ताल पद्धति
- दक्षिण भारतीय एवं उत्तर भारतीय तालिपि पद्धति

खण्ड–5

- **पारिभाषिक शब्द** – नाद, श्रुति, स्वर, आरोहणम्, अवरोहणम्, अलापना, रागम्, तालम्, लय, गति, अक्षरकाल, क्रिया, जाति, कालप्रमाणम्, स्वरजती, कृति, कीर्तनम्, रागमालिका, गीतम्, पदम्, वर्णम्, तिल्लाना, दरू, जतिस्वरम्, कल्पनास्वर, निरवल, विरूत्तम्, रागम् तानम् पल्लवी, संचारी

खण्ड–6

- **रागलक्षण** – मलहरी, कल्याणी, सावेरी, शंकराभरणम्, मोहनम्, मायामालवगौल, आभोगी, हंसध्वनि, शुद्धसावेरी, बेगड़ा, वसंत, केदारगौल, कानड़ा अमृतवर्षिणी, जगन्मोहिनी, आरभी, श्रीरंजिनी, धन्यासी, शुद्धधन्यासी, कमास, हिन्दोलम्, पूर्वीकल्याणी, बिलहरी, नाट्टई, गौल, षण्मुखप्रिया, सरूटि, जनरंजिनी, वलचि, भैरवी, तोड़ी, नटकुरंजी, काम्बोजी, खरहरप्रिया, हुसेनी, हेमावती, परस, शिवरंजिनी

खण्ड–7

- **जीवन परिचय एवं योगदान –** पुरन्दर दास, अन्नम्माचार्य, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, स्वाति तिरुनाल, क्षेत्रज्ञ, स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा

खण्ड–8

- भारत के प्रचलित लोकसंगीत एवं लोकवाद्य
- उत्तराखण्ड का लोकसंगीत
- उत्तराखण्ड के लोकवाद्य
- उत्तराखण्ड के प्रमुख लोक कलाकारों का परिचय एवं योगदान

नोट– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से संदर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

सगतकला गायन क पद हतु पाठ्यक्रम

खण्ड–1

भारतीय शास्त्रीय संगीत का सामान्य अध्ययन

(क) ध्वनि, कम्पन, आन्दोलन, आवृति, नाद, नाद के प्रकार, संगीत, संगीत की उत्पति, मार्गी व देशी संगीत, संगीत के प्रकार–शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत, लोक संगीत, स्वर व स्वर के प्रकार, श्रुति, श्रुति–स्थान, सप्तक एवं सप्तक के प्रकार, ग्राम व ग्राम के प्रकार, मूर्च्छना, जाति गायन, राग, थाट/मेल।

(ख) वर्ण, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, अलंकार, स्वर–प्रस्तार, न्यास स्वर, उपन्यास स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़, वर्जित स्वर, अंश स्वर, वक्र स्वर, कण, मींड, खटका, मुर्की, गमक एवं उनके प्रकार, आन्दोलन, काकु एवं उसके भेद, राग, परमेल प्रवेशक राग, सन्धि प्रकाश राग, आलाप–तान की परिभाषा एवं प्रकार, समप्रकृति राग, लय एवं लय के प्रकार, ताल, मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन, लयकारी–ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, मुखड़ा, पूर्वांग, उत्तरांग, राग समय चक्र।

खण्ड–2

संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन

(क) वैदिककालीन संगीत, पौराणिक कालीन संगीत, महाकाव्यकाल (रामायण, महाभारतकालीन) संगीत, मध्यकाल एवं आधुनिककाल।

(ख) ग्रंथों का अध्ययन– नारदीय शिक्षा, नाट्यशास्त्र, बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, राग तरंगिणी, स्वरमेलकलानिधि, चतुर्दण्डीप्रकाशिका, संगीत बोध।

(ग) प्रबन्ध गायन शैली का विस्तत अध्ययन– प्रबन्ध के भेद, रागालाप, रूपकालाप, आलप्तिगान।

खण्ड–3

राग वर्गीकरण एवं गायन शैलियों का अध्ययन–

(क) राग वर्गीकरण का अध्ययन– दक्षविध राग वर्गीकरण, राग–रागिनी वर्गीकरण, मेल/थाट राग वर्गीकरण, सांगाग राग वर्गीकरण, शुद्ध–छायालग, सकीर्ण, मिश्र राग।

(ख) गायन शैलियों का विस्तृत अध्ययन–ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, तराना, चतुरंग, त्रिवट, होरी, सादरा, स्वरमालिका/सरगमगीत, लक्षणगीत, गज़ल, भजन।

(ग) पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे और पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की स्वरलिपि पद्धति एवं तालिपि पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन।

खण्ड–4

घराने एवं संगीतज्ञ–

(क) घराने– ध्रुपद की वाणियाँ, ख्याल के घराने–ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, किराना, जयपुर, पटियाला, रामपुर–सहसवान।

- तबले के घराने– दिल्ली, अजराड़ा, फरूर्खाबाद, लखनऊ, बनारस, पंजाब।

(ख) संगीतज्ञों का जीवन परिचय एवं योगदान– उस्ताद अब्दुल करीम खाँ, पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे, उस्ताद फैयाज़ खाँ, स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, सदारंग, अदारंग, गोपाल नायक, अमीर खाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पं0 अनोखे लाल, पं0 भीमसेन जोशी, पं0 जसराज, कुमार गन्धर्व, पं0 श्यामा शास्त्री, त्यागराज, पं0 ओमकार नाथ ठाकुर, पं0 रविशंकर, बिसमिल्लाह खाँ।

खण्ड–5

राग, ताल तथा वाद्यों का विस्तृत अध्ययन–

(क) राग–यमन, बिलावल, काफी, देश, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी भूपाली बागेश्री दुर्गा, मालकौंस, पूरिया, जौनपुरी, केदार, बिहाग, जैजैवन्ती, वृन्दावनी, सारंग, पूरियाधनाश्री, देशकार, कामोद, गौड़ सारंग, छायानट, बसंत, परज, अड़ाना, दरबारी कान्हड़ा, मुल्तानी, पीलू, तिलंग सोहनी, शंकरा, हिन्डोल, मियाँ मल्हार, बहार, गौड़ मल्हार, अल्हैया बिलावल।

(ख) ताल एवं लयकारियाँ– तीनताल, तिलवाड़ा, रूपक, एकताल, चारताल, धमार, दादरा, कहरवा, दीपचंदी, झपताल, सूलताल, आड़ाचारताल, उपर्युक्त तालों में लयकारी–ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन।

(ग) भारतीय संगीत के वाद्य एवं उनके प्रकार–

तत्– सितार, तानपुरा, सरोद, वायलिन, सारंगी, रूद्रवीणा, सरस्वती वीणा।

सुषिर– बाँसुरी, शहनाई, रणसिंहा, मशकबीन, भकोरा, नादस्वरम्।

अवनद्ध–तबला, मृदंगम्, पखावज, हुड़का, ढ़ोलक, ढ़ोल, दमाऊ, डौंर।

घन्– मंजीरा, घण्टा, थाली, खड़ताल, घटम्, घड़ियाल।

नोटः– पाठ्यक्रम के उक्त उपखण्डों में वर्णित शीर्षक/उपशीर्षकों से सन्दर्भित समसामायिक एवं तकनीकी ज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित समझा जाये।

परिशिष्ट–2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी.....तथा / अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट /
सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट /
तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 में अधिसूचना संख्या–22 / 16 / 92–का–2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी.....तथा / अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट–2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट–2(च)

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्याः–.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....

.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहे प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित

iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)

vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

i. बी. – अंधता
ii. पी. बी. – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

i. डी. – बधिर
ii. पी. डी. – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती–.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

i.	एफ– अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकतें/सकती हैं।	हां/नहीं
ii.	पी.पी.– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iii.	एल– उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iv.	के.सी.– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
v.	बी– झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vi.	एस– बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vii.	एस.टी.– खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
viii.	डब्लू– चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
ix.	एस.ई.– देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
x.	एच– सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
xi.	आर.डब्लू.– पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं

(डा0.....)
सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)
सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)
सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।